

CERTIFICATE OF LAND

File No.

Date 16.08.2019

It is certified that the owner of the land has leased to **Modern Education Society, Fatehabad** vide lease deed dated 12.04.2006 for a period of 99 years, duly registered on 17.04.2006 at serial no. 179 in Book No. 01, volume no. 440 on page 296 in the office of Tehsildar and the entire land is in possession of lease. There is no renewal clause in the Lease Deed.

It is further certified that **Crescent Public School, Fatehabad** and **Crescent College of Education** run by Modern Education Society, Fatehabad are located on the said plot of land. No other educational institute is running and no commercial or any other activity is being carried out on the said plot of land.

All that piece and parcel of land measuring now 13152.19 Sq. Mtr. (3.25 acre) situated no. 46//15/3(1-5), 16/1(3-16), 25/2(3-16), 47// 19/3min(0-17), 20/2(1-16), 21(8-0), 22min(6-9) at Bhodia Khera, Khairati Khera Road, Mini Bye-Pass, Tehsil & District Fatehabad and bounded as follows:

- NORTH - 122.70 mtr.
- EAST - 54.86 mtr.
- WEST - 144.32 mtr.
- SOUTH - 174.345 mtr.

To be verified by

Tehsildar Fatehabad

DISTRICT MAGISTRATE / TEHSILDAR / SUB REGISTRAR
(Name of Town, Sub-Division, District and State)

(Signature & Seal)

सा/म/क/ब/७

अपीत खेता अगुसात खेता-० ३१५ खतोनी-० ५७१ पत्राबखी साक २०५५-१०
 निकते - १ खज्जा २६-० ^{K-m} पत्रा जापिक सुत्राख चरु पुत्रा निकोक - चरु पुत्रा पैडा
 राक वासीके पट्टा देकिच माडिन (२०० सासाकरी) कतेखरुह लखरिया निकोक
 - चरु पुत्रा पैडा पुत्रा नारु राक प्रधाक पट्टा त्रियादी अज १२५-०६ वा
 पुत्रा-११०५ वासीके पट्टा गरिच वी फाच की मडदेय फाच अजाक
 कारवादी हेतु सेवा मे स्थित है।

16/08/19

Counter Signature
 Tehsildar, Fatehabad

5

भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

हरियाणा HARYANA

09AA 523078

124v)

gromin L

24/8/8

circ de

de

925
LIBRARY
UNIVERSITY OF
TORONTO

179
17-4-6

नकल लेख फटा मियादी अरसा 99 साल अज तारीख 12-4-2006 से तिथि
11-4-2105 तक भूमि बाके मौजा मोडियाखेड़ा तहसील व जिला फतेहबाद
जरै लगान 50000 रुपये बिलमुकता सालाना
पाँच साल तक के जरै लगान की रकम 250000 रुपये
स्टाम्प मूल्य 7500 रुपये न० जारी करदा खजाना फतेहबाद
तिथि 12-4-06

रोक सब रजिस्ट्रार साहिब फतेहबाद कुछ नहीं लेता है
रकबा 26 कनाल 10 मरले अरसा 99 साल के लिये फटा पर दी गई है

जो कि मैं सुभाष चन्द्र पुत्र तिलोक चन्द पुत्र पेड़ाराम निवासी
मोडियाखेड़ा तहसील वा जिला फतेहबाद का हूँ जो कि मिकर कये
जमाबन्दी साल 1999-2000 में इन्तकाल न० 3958 मनफैसला तिथि
27-4-04 अराजी तेदादी 199 कनाल 8 मरले किला 34 सेक्ट न० 333
खतौन्वी न० 422 ता 424 का 530/3988 हिस्सा बाकदर 26 कनाल 10
मरले वाक्या मौजा मोडियाखेड़ा तहसील वा जिला फतेहबाद का मालिक
वा काबिज है और उपरोक्त सेक्ट में से भूमि नम्बरान खसरा 46//15/3
(1-5), 16/1(3-16), 25/2(3-16), 47//19/3(0-19), 20/2(1-16),
21(8-0), 22(6-18) तेदादी 26 कनाल 10 मरले मिकर के कब्जा काशत
हिस्सेदारी में है और उसके हिस्सा से जायद ना है जिसको मिकर हर
प्रकार से मुन्तिकल कर सकता है कोई कासनी अमर इसमें मनाही का नहीं
इसलिये मिकर ने आज अपनी खुशी वा रजाबन्दी से होश वा हवास में
बिना किसी दबाव के अपनी उपरोक्त भूमि तेदादी 26 कनाल 10 मरले
को खाना काशत में अरसा 99 साल अज तारीख 12-4-2006 से तिथि
11-4-2105 तक ऐजुकेशन परफिज के लिये 50000 रुपये (पचास हजार रु)
बिलमुकता सालाना जरै लगान के हिसाब से वादस्त मार्टन ऐजुकेशन सोसा
-टी फतेहबाद तहसील वा जिला फतेहबाद खरिया इसके तिलोकच
दुटेजा पुत्र पेड़ाराम पुत्र नानुराम निवासी मोडियाखेड़ा तहसील व जिला
फतेहबाद प्रधान सोसायटि फटा पर दे दी है कब्जा मौके पर फटेदा

रिकार्ड मुताबिक नकल है

लेख नः 179 दिनांक 17/04/2006

ह प्रलेख आज दिनांक 17/04/2006 दिन सोमवार समय 11/12
श्री सुभाश चन्द्र पुत्र श्री तिलोक चन्द वासी भोडियाखेडा, फतेहाबाद।
ए पूंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी
फतेहाबाद

उक्त प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर तथा समझकर स्वीकार किया तथा प्रलेख में वर्णित
श्री सुभाश चन्द्र 50,000 के लेन - देन को भी स्वीकार किया यह राशि मेरे सम्मुख
बजरिया तिलोकचन्द टुटेज पुत्र श्री पेडाराम - वासी भोडियाखेडा, फतेहाबाद।
पेश की गई तथा दोनों पक्षों की पहचान श्रीकिशन चन्द नम्बरदार पुत्र श्री मोहरीराम
श्री भोडियाखेडा, फतेहाबाद व श्रीगुरदियाल पुत्र श्री भवानी राम
श्री भोडियाखेडा, फतेहाबाद ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/सरपंच/पंच/अधिवक्ता के रूप में जानते है
वह साक्षी नः2 की पहचान करता है।

दिनांक 17/04/2006

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी
फतेहाबाद

रिकार्ड मुताबिक नकल है

श्री गुरदियाल
श्री गुरदियाल फतेहाबाद

मन्जूर किये जाने में मिकर को कोई खतरा ना है खरचा रजिस्ट्री हजा के करवाने में मिकर ने अपने पास से अदा किया है शरायत पट्टामियादी माबेन फारीकैन हसब जैल करार पाई है जिसकी पाबन्दी फारीकैन वा वारसान फारीकैन पर लागु होगी अबल यह कि पट्टेदार जरे लगान मिकर को हर माह 12 अप्रैल का वाखज रसीद अदा करने का जिमेवार होगा दुसरे पट्टेदार सोसायटी उपरोक्त रकबा में स्कूल चलाने के लिये भवन का निर्माण अपने खरचा पर कर सकेगी तथा भवन बनाने के लिये किसी बैंक से रकबा बाला को पत्तन करके करजा ले सकेगी लेकिन करजा की अदायगी सोसायटी करने की जिमेवार होगी तीसरे अरसा मियाद पट्टा में नहरी पानी मिकर लगानयेगा और सरकारी लगान मिकर अदा करने का जिमेवार होगा चौथे पट्टेदार सोसायटी रकबा मजकुरा बाला को ऐजुकेशन परपिज के लिये प्रयोग कर सकेगी आगे किसी दिगर शहस को किसी तौर से मुन्तिकलना कर सकेगी पांचवे यदि पट्टेदार ने जरे लगान व रकम समय पर अदा ना की तो मिकर को हक होगा कि वीह मारफत अदास्त कारवाह करके जरे लगान की रकम अदा करे उस सुरत में जो हरजा वा खरचा अदा स्ती होगा वीह पट्टेदार अदा करने का जिमेवार होगा अतः यह दस्तावेज पट्टामियादी तहरिर करवा दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे लेख सुन लिया है स्वीकार है तिथि 12-4-06

सुमाजी सिंह

हो पट्टेदार
12/4/06

गवाह: *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]

गवाह: गुरदियाल पुत्र श्री भवान्जीराम निवासी मोडियाहेड़ा तः फतेहबाद

रिकार्ड मुताबिक नकल है

यह दस्तावेज पट्टामियादी फारीकैन के कहने के अनुसार मेरे द्वारा बोलकर टाईप वा तैयार करवाया गया है



पट्टा देने वाला



पट्टा लेने वाला



गवाह

दोनों पक्षों एवं गवाहों के हस्ताक्षर/चिन्ह अंगुठा हमारे सामने करवाये गये।

किशन चन्द नम्बरदार

गुरदियाल

बजरिया तिलोकचन्द दुटेजा

सुभाश चन्द्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 179 आज दिनांक 17/04/2006 को बही नः 1 जिल्द नः 440 पृष्ठ नः 296 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 3,344 के पृष्ठ सख्या 45 से 46 पर चिपकाई गयी।

दिनांक 17/04/2006

सयुक्त/उप पंजीयन अधिकारी

फतेहाबाद

रिकार्ड मुताबिक नकल है

सब रजिस्टार फतेहाबाद

4719
1-12-14

लेख अन्तरण नामा (ट्रान्सफर डीड) खुन के रिश्ते में

स्टाम्प माफ

बरुये आदेश हरियाणा सरकार संख्या का० आ० 62/के० अ० 2/1899/धा० 9/2014 दिनांक 16-6-2014 के अनुसार खुन के रिश्ते में अचल सम्पति अन्तरण पर स्टाम्प ड्युटी माफ है।

अराजी तादादी 25 कनाल 19 मरला के हकुक मलकियत वाक्या मौजा भोडिया खेडा तहसील व जिला फतेहाबाद पत्नी के हक में ट्रान्सफर की गई है।

जो कि मैं सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र तिलोक चन्द पुत्र पेडा राम निवासी 4-मरला कालोनी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद का हूँ। जो कि मैं वाक्या मौजा भोडिया खेडा तहसील व जिला फतेहाबाद में बरुये जमाबन्दी साल 2009-2010 के अनुसार अराजी मुन्द्रजा खेवट नम्बर 362 किते 34 रकबा कुल रकबा तादादी 199 कनाल 8 मरला का 519/3988 हिस्सा रकबा बाकदर 25 कनाल 19 मरले का मालिक हूँ और मार्डन एजुकेशन सोसाइटी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद इसी खेवट नम्बर 362 मिन में रकबा खसरा नम्बर 46//15/3(1-5) 46//16/1(3-16) 25/2(3-16) 47//19/3 मिन (0-17) 20/2(1-16) 21(8-0) 22 मिन (6-9) कुल रकबा 25 कनाल 19 मरले पर बतौर पटटेदार काबिज है। जिस पर किसी प्रकार का कोई भार ना है। श्रीमति सुरेश टुटेजा धर्मपत्नी सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र श्री पेडा राम निवासी 4-मरला कालोनी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद मेरी धर्मपत्नी है। इसलिए आज मैंने अपने ठीक होश व हवास में अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी दबाव के अपनी अराजी उपरोक्त 25 कनाल 19 मरले जिसकी तफसील उपर दर्ज है के तमाम हकुक मलकियत हर किस्म श्रीमति सुरेश टुटेजा धर्मपत्नी सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र श्री पेडा राम निवासी 4-मरला कालोनी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद के हक में ट्रान्सफर कर दिये है अब श्रीमति सुरेश टुटेजा धर्मपत्नी सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र श्री पेडा राम निवासी 4-मरला कालोनी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद मजकुर अराजी उपरोक्त की मालिक हो गई है। जो जो हकुक अराजी उपरोक्त में मुझे हासिल थे वह तमाम हकुक श्रीमति सुरेश टुटेजा धर्मपत्नी सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र श्री पेडा राम निवासी 4-मरला कालोनी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद को

सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र मिकर/हकदहिन्दा

हासिल हो गये हैं। मेरा व मेरे दीगर वारसान का अब इस अराजी उपरोक्त से कोई तालुक व वास्ता किसी प्रकार से ना रहा है। इन्तकाल अराजी उपरोक्त हकुक मलकियत का बाहक श्रीमति सुरेश टुटेजा धर्मपत्नी सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र पुत्र श्री पेडा राम निवासी 4-मरला कालोनी फतेहाबाद तहसील व जिला फतेहाबाद मजकुर हकगरिन्दा इसी दस्तावेज हजा की बिनाह पर कागजात माल मे दर्ज व मन्जुर फरमाया जावे मुझे किसी किसम का कोई उजर व एतराज ना होगा। अतः यह दस्तावेज अन्तरण नामा (ट्रान्सफर डीड) तहरीर करवा दिया कि सन्द रहे ओर समय पर काम आवे लेख हजा सुन व समझ लिया है स्वीकार है तिथि 01-12-2014

सुभाष उर्फ सुभाष चन्द्र मिकर/हकदहिन्दा

श्रीमति सुरेश टुटेजा हकगरिन्दा

गवाह:-

महेश्वर प्रसाद मन्जुरवार मोडिया रोड,
महेश्वर प्रसाद

गवाह:-

महेश्वर प्रसाद मन्जुरवार मोडिया रोड,
महेश्वर प्रसाद

यह लेख अन्तरण नामा (ट्रान्सफर डीड) मिकर/फरीकेन के कहने के अनुसार उनकी व गवाहान के रोबरू मेरे द्वारा बोल कर टाईप वा तैयार करवाया गया लेख पढकर सुनाया व समझाया गया जिसको सुन कर व समझ कर सही स्वीकार किया।

Bansilal Bishnoi

Advocate

Distt. Court, Fatehabad (Hrv.)

प्रलेख नः 4719

दिनांक 01/12/2014

डीड संबंधी विवरण

डीड का नाम TRANSFER OF IMMOVABLE PROPERTY WITHIN BLOOD RELATION
तहसील/सब-तहसील फतेहाबाद
गांव/शहर भोडियाखेड़ा

धन संबंधी विवरण

रजिस्ट्रेशन फीस की राशि 100.00 रुपये


पेस्टिंग शुल्क 3.00 रुपये

अनुमोदित By: बंसीलाल बिश्नोई वकील

Service Charge: 200.00 रुपये

यह प्रलेख आज दिनांक 01/12/2014 दिन सोमवार समय 4:16:00PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी सुभाष उर्फ सुभाषचंद्र पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी तिलोकचन्द निवासी फतेहाबाद द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता



श्री सुभाष उर्फ सुभाषचंद्र

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
फतेहाबाद

परोक्त पेशकर्ता व श्री/श्रीमती/कुमारी सुरेश टुटेजा दावेदार हाजिर है। प्रस्तुत प्रलेख के तथ्यों को दोनों पक्षों ने सुनकर ध्या समझकर स्वीकार किया। दोनों पक्षों की पहचान श्री/श्रीमती/कुमारी महावीर प्रसाद न. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी भोडियाखेड़ा व श्री/श्रीमती/कुमारी महेन्द्र स्वाम्य वैडर पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी फतेहाबाद ने की। साक्षी नः 1 को हम नम्बरदार/अधिवक्ता के रूप में जानते हैं तथा वह साक्षी नः 2 की पहचान करता है।

दिनांक 01/12/2014

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी
फतेहाबाद

Reg. No.

Reg. Year

Book No.


4,719

2014-2015

1



पेशकर्ता



दावेदार



गवाह

पेशकर्ता

सुभाष उर्फ सुभाषचन्द्र

दावेदार

सुरेश टुटेजा

गवाह

महावीर प्रसाद न.

गवाह

महेन्द्र स्टाम्प वेंडर

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 4,719 आज दिनांक 01/12/2014 को बही नः 1 जिल्द नः 5,312 के नः 31 पर पंजीकृत किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही सख्या 1 जिल्द नः 5,466 के सख्या 46 से 47 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और जो ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगुठा मेरे सामने किये है ।

दिनांक 01/12/2014

उप/सयुक्त पंजीयन अधिकारी
फतेहाबाद